इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2016—आषाढ़ 29, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. 20400-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१६

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ८ का संशोधन.
३. धारा ९ का संशोधन.
४. धारा ९-ख का अत:स्थापन
५. धारा ३९ का संशोधन.
६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

धारा ८ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ८ में, उप-धारा (५) का लोप किया जाए.

धारा ९ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप-धारा (१) में, शब्द "तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो" का लोप किया जाए.

धारा ९-ख का अंतःस्थापन. ४. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, अध्याय-दो में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

निजी विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदन का प्रस्तुत किया जाना. "९-ख. निजी विश्वविद्यालय किन्हीं कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व निरीक्षण के लिये विनियामक आयोग को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण के पश्चात् विनियामक आयोग पाई गई किसी न्यूनता के बारे में उक्त विश्वविद्यालय को सूचित करेगा और उसे ठीक करने के लिये उसे एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा. विनियामक आयोग ऐसी कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उस न्यूनता को ठीक नहीं कर दिया जाता.".

धारा ३९ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (१) में, प्रारंभ में, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"निजी विश्वविद्यालय के निगमन के पश्चात् किन्तु प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के छह माह के भीतर निजी विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी रीति में, जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित की जाए, निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ६. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक १ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) अधिनियमित करके, मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग स्थापित किया गया था.

२. देश की आर्थिक प्रगति तथा कौशल आधारित रोजगार की मांग में वृद्धि के कारण उच्च शिक्षा परम्परागत शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है. अत: यह स्वाभाविक है कि स्थापित किए जा रहे नवीन निजी विश्वविद्यालयों में अधिकतर पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रकृति के हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, औषध निर्माण विज्ञान, प्रबंधन, दंत चिकित्सा, सह-चिकित्सा, परिचर्या, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि. इन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विनियामक निकाय हैं, जो पाठ्यक्रम और उसकी विषय वस्तु, अपेक्षित अधोसंरचना, अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद उनकी संख्या तथा अर्हताएं, प्रवेश के लिए पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया, फीस और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए मानक स्थापित करते हैं. इसके साथ ही राज्य में निजी निवेशकों को बढ़ावा देने तथा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने और राज्य में मानकों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उक्त अधिनियम की धारा ८, ९, ३९ को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है. नई धारा ९-ख भी अन्त: स्थापित की गई है.

३. संशोधन का प्रयोजन, छात्रों के हित में तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय, इसकी अधोसंरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन करना है.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक १ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपान्तरण के लाया जाए.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ जुलाई २०१६

जयभान सिंह पवैया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१६ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ४—द्वारा निजी विश्वविद्यालय में किन्हीं कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व निरीक्षण के लिए विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किये जाने; तथा

खण्ड ५—निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के छह माह के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निरीक्षण हेतु विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किये जाने; के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ की धारा ८ (५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व निरीक्षण से संबंधित थी, इस धारा के कारण न सिर्फ विलम्ब होता था अपितु सिर्फ भवन, भूमि निरीक्षण के लिए उपलब्ध होती थी अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निरीक्षण धारा ८(५) से हटाकर धारा ३९ में अत: स्थापित किया गया है. धारा ८ (५) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निरीक्षण लोप करने की वजह से धारा ९(१) में संशोधन आवश्यक हो गया है. धारा ९ (ख) का अंत:स्थापन—यह संशोधन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना उपरांत परन्तु पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व विनियामक आयोग द्वारा निरीक्षण से संबंधित है. नव स्थापित निजी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व ही गुणवत्ता परक शिक्षा तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है. धारा ३९ में संशोधन—निजी विश्वविद्यालय स्थापना के ६ माह के भीतर यूजीसी, नई दिल्ली से निरीक्षण हेतु आवेदन करेगा जिससे स्थापित विश्वविद्यालय की अधोसंरचना, पुस्तकालय तथा अन्य अकादमिक पाठ्यक्रमों का यूजीसी द्वारा छात्रहित एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु समग्र मूल्यांकन किया जा सके इससे यूजीसी द्वारा बाद में किसी भी प्रकार छात्रों की उपाधि या पाठ्यक्रम संबंधी विवाद से बचा जा सकेगा. यह समस्त संशोधन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक थे और विधान सभा सत्र नहीं चल रहा था अत: मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक १ सन् २०१६) प्रख्यापित किया गया.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.